

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या:- 1922/FP/UK/ROAD/14661/2015 देहरादून: दिनांक: 11 जनवरी, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड,  
देहरादून।

विषय:-जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली-घुत्तू मोटर मार्ग व घनसाली-कोटी-अखोड़ी मोटर मार्ग को जोड़ने हेतु अर्द्धगी में भिलंगना नदी पर स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण के सम्बन्ध में। FP/UK/ROAD/14661/2015

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 09-10-2018

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 09-10-2018 के सम्बन्ध सम्बन्ध में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बिन्दुवार आख्या प्रेषित की जा रही है :-

Sr.no	REPLY	EDS
1	The proposal is for construction of bridge over Bhilangana rived and muck disposal is proposed along the same as shown at Component wise breakup, State Govt. may review the same) regarding to this no explantation is given for muck disposal along the river.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मलवा निस्तारण हेतु 0.07 हे० सिविल सोयम भूमि एवं 0.09 हे० नाप भूमि प्रस्तावित की गयी है जिसका विवरण भाग 1 के पैरा B-2.3 में अंकित किया गया है।
2	Complete land schedule is not found uploaded.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण भाग 1 के additional information के क्रम संख्या-09 में अपलोड कर दिया गया है।
3	State Govt. may provide received Bar chart as the same seems incorrect.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बार चार्ट को भाग 1 के additional information के क्रम संख्या-01 में अपलोड कर दिया गया है।
4	legal status of land still not mentioned in SIR of DFO.	DFO site inspection report में भूमि की श्रेणी फलेण्डा क०सं०-5अ में 0.175 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 0.07 हे० सिविल एवं सोयम भूमि कुल 0.245 हे० अंकित किया गया है।
5	Original hard copy of FRA and Part IV and V is still not submitted.	उक्त प्रस्ताव की हार्ड प्रति मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
6	The KML file uploaded for the proposed road seems to be incorrect.	उक्त आपत्ति का निराकरण भाग 1 में संशोधित कर यथास्थान कर दिया गया है।

सि० न० १५ - २०१९

भवदीय,

(ए०के०गुप्ता)  
वन संरक्षक